

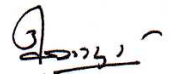
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा

संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट

1.	योजना	5054-स्टेट हाईवे
2.	सड़क का नाम	कोटा-धरनावदा सड़क किमी. 111/0 से 157/525
3.	स्वीकृत लम्बाई	46.525 कि.मी.
4.	प्रस्तावित वन भूमि की लम्बाई	5.00 कि.मी.
5.	स्वीकृत लागत	9850.00 लाख
6.	स्वीकृत विवरण	संलग्न

कोटा-धरनावदा सड़क (कवाई से धरनावदा तक) किमी. 111/0 से 157/525 स्टेट हाईवे योजनान्तर्गत स्वीकृत की गई है। सीमेन्ट कांक्रीट पेवमेन्ट एवम् 39 पुलियाओं तथा 2000 मीटर लम्बाई में प्रोटेक्शन कार्य एवम् 450 मीटर लम्बाई में नाली निर्माण का कार्य किया जावेगा। पूर्व निर्मित सड़क अलाइनमेंट पर ही चौड़ाईकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण कार्य किया जा रहा है। इससे थर्मल पॉवर प्लान्ट से हो रहे भारी मशीनरी व वाहनों का आवागमन सुगम हो सकेगा तथा लाखों की आबादी को इसका लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त चिकित्सा, शिक्षा सुविधा का भी लाभ मिलेगा, जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाये रखने में सुविधा मिलेगी तथा ग्रामवासियों को सरकारी योजनाये एवं विकास कार्यों का समुचित लाभ मिलेगा तथा साथ में वन विभाग को वन के प्राटैक्शन में सुविधा मिलेगी।

यह सड़क राज्य सड़क है, जो कोटा से कवाई-छबड़ा होते हुए गुना (मध्यप्रदेश सीमा) को जोड़ती है। वर्तमान में उक्त सड़क 5.50 मीटर केरिजवे में पटरी सहित 9.00 मीटर फोरमेशन बना हुआ है। उक्त सड़क पर छबड़ा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट मोतीपुरा की वजह से भारी वाहनों का आवागमन हो रहा है। जिससे सड़क की चौड़ाई एवं स्ट्रेन्थिंग किया जाना अतिआवश्यक हो गया है।



(मुकेश गुप्ता)

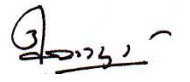
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा

भूमि की पर्याप्तता का प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम : कोटा-धरनावदा सड़क किमी. 111/0 से 157/525

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित वन भूमि सड़क परियोजना के लिए पर्याप्त है, भविष्य में कोई अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।



(मुकेश गुप्ता)

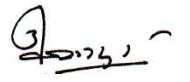
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा

न्यूनतम भूमि की अण्डरटेकिंग

कार्य का नाम : कोटा-धरनावदा सड़क किमी. 111/0 से 157/525

प्रमाणित किया जाता है, कि सड़क निर्माण के लिए वन विभाग की न्यूनतम भूमि (13.558 हैक्टेयर) चाही गयी है।



(मुकेश गुप्ता)

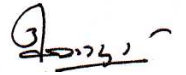
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा

वर्तमान प्रचलित दर (एन.पी.वी.) की अण्डर टेकिंग

कार्य का नाम : कोटा-धरनावदा सड़क किमी. 111/0 से 157/525

इस परियोजना हेतु 13.558 हैक्टेयर वन भूमि के अनारक्षण के प्रस्ताव के संबंध में जो एन.पी.वी. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जावगी, नियमानुसार देय होगी एवम् सार्वजनिक निर्माण विभाग उक्त राशि जमा करा देगा।



(मुकेश गुप्ता)

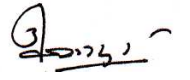
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा

वचन बद्धता का प्रमाण—पत्र

कार्य का नाम : कोटा—धरनावदा सड़क किमी. 111/0 से 157/525

प्रस्तावित वन भूमि के अनारक्षण के अन्तर्गत प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसमें अनुरक्षण या दण्ड प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ—साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत जो कि नियमानुसार होगी, निर्धारित की जावेगी, उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग देने को तैयार होंगे।



(मुकेश गुप्ता)

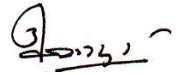
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा

अण्डर टेकिंग

कार्य का नाम : कोटा-धरनावदा सड़क किमी. 111/0 से 157/525

यह प्रमाणित किया जाता है, कि न्यूनतम श्रमिक दर बढ़ने से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि में बढ़ोतरी होती है, तो उसका भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कर दिया जाएगा।



(मुकेश गुप्ता)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

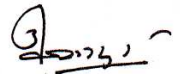
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा

प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम : कोटा-धरनावदा सड़क किमी. 111/0 से 157/525

प्रमाणित किया जाता है, कि जिस वन भूमि को सड़क निर्माण के काम में लिया जावेगा, इसे अन्य किसी कार्य हेतु उपयोग नहीं लिया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित वन भूमि में पूर्व निर्मित सड़क का चौड़ाईकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण कार्य किया जावेगा।



(मुकेश गुप्ता)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

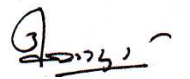
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा

अण्डर टेकिंग

कार्य का नाम : कोटा—धरनावदा सड़क किमी. 111/0 से 157/525

सड़क निर्माण में जो सामग्री उपयोग में ली जावेगी, वो वन क्षेत्र से नहीं ली जावेगी, चाहे वो बोरो पिट हो।

वन विभाग को समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध करा दी जावेगी।



(मुकेश गुप्ता)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा

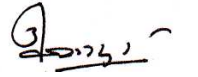
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा

मार्ग के वन भूमि से गुजरने का प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम : कोटा-धरनावदा सड़क किमी. 111/0 से 157/525

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त सड़क वन क्षेत्र से गुजरती है। प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात् ही उक्त सड़क का निर्माण कराया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित वन भूमि में पूर्व निर्मित सड़क का चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किया जावेगा।



(मुकेश गुप्ता)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड छबड़ा